

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमज़ोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित फ्लैट्स का आवंटन (फेज-द्वितीय)

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत आवंटन हेतु कमज़ोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के फ्लैट्स का आवंटन (फेज-द्वितीय)

निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमज़ोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन (फेज-द्वितीय)

1. योजना में फ्लैट आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 10.03.2016 से दिनांक 11.04.2016 तक
2. आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदकों की सूची का प्रकाशन	20.04.2016
3. आमजन द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई प्रवष्टियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि में	21.04.2016 से 06.05.2016 तक
4. प्राप्त आक्षेपों का सक्षम समिति द्वारा निस्तारण	10.05.2016 तक
5. प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय का प्रकाशन	13.05.2016
6. फ्लैट आवंटन हेतु पात्र आवेदकों की लॉटरी	18.05.2016

योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, नियम तथा शर्तों की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.japurjda.org पर उपलब्ध है।

1. निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित फ्लैट्स का आवंटन (फेज-द्वितीय):-

1.1 परिचय :

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम (Other Scheme) इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टर से अधिक) में EWS/LIG के फ्लैट्स आरक्षित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न निजी विकासकर्ताओं के अनुमोदित भवन मानचित्र अनुसार बीपीसी (BPI) द्वारा अपने पत्र क्रमांक डी-302 दिनांक 10.02.2016 द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार 16 योजनाओं में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 695 तथा अल्प आय वर्ग के 840 कुल 1535 फ्लैट्स हेतु पंजीकरण हेतु इन आरक्षित फ्लैटों के लिये पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवंटन हेतु उपलब्ध कुल फ्लैटों की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.japurjda.org पर उपलब्ध हैः—

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के अन्तर्गत विकासकर्ताओं के भवन मानचित्र अनुमोदन पर उपलब्ध कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी —

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदक के परिवार की सकल मासिक आय (रुपये में)	*निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट अप सहित) लगभग (वर्गफुट)	आवंटन दर रुपये प्रति वर्गफीट	उपलब्ध फ्लैट
1	कमजोर आय वर्ग EWS (Economically Weaker Section)	10000/- तक	350	850	695
2	अल्प आय वर्ग (Low Income Group)	10001/- से 15000/- तक	550	850	840

*निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एवं रोमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

- 1.2 प्रशासनिक शुल्क निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के फ्लैट्स की कीमत में सम्मिलित / समायोजित नहीं होगी।
- 1.3 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में भूखण्ड का पट्टा जारी करते समय एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा होने की दशा में फ्लैट के आवंटन के समय अलग से एक मुश्त शहरी जमाबन्दी देय नहीं होगी लेकिन फ्लैट शहरी जमाबन्दी पर ही आवंटित किये जावेंगे।

2. अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के फ्लैट्स का आवंटन (फेज-द्वितीय):-

2.1 परिचय :-

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत 08 परियोजनाओं में आवंटन से शेष एवं उपलब्ध आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) के आवंटन के लिये पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कुल फ्लैट्स की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध है:-

कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) की मासिक आय, फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी -

क्र. सं.	श्रेणी	आवेदक के परिवार की सकल मासिक आय (रूपये में)	निर्मित क्षेत्रफल लगभग (वर्गफीट)	आवंटन दर रूपये प्रति वर्गफीट	उपलब्ध फ्लैट की संख्या
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग EWS (Economically Weaker Section)	10000/- तक	325	850	85
2	अल्प आय वर्ग (Low Income Group)	10001/- से 15000/- तक	500	850	26
3	मध्यम आय वर्ग 'अ' (Middle Income Group-A)	15001/- से 30000/- तक	700	1100	23

राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग के पत्रांक डी-334 दिनांक 23.04.15 के द्वारा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एवं सैक्सनिंग कमेटी के निर्णय दिनांक 02.04.14 के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG-A) की आवंटन दर में 100रु. प्रति वर्गफीट की अतिरिक्त राशि सम्मिलित की गयी है। जिसका भुगतान राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंग को किया जावेगा।

2.2 निर्मित आवासों में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	आय वर्ग	*निर्मित क्षेत्रफल (सुपर बिल्ट अप वर्ग फीट)	कमरें	किचन	शौचालय	स्नानागार	विशेष विवरण
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	325	2	1	1	1	-
2	अल्प आय वर्ग	500	2	1	1	1	बालकनी अतिरिक्त
3	मध्यम आय वर्ग 'अ'	700	2	1	2	1	ड्राइंग एवं डाइनिंग बालकनी अतिरिक्त

*निर्मित क्षेत्रफल में फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

2.3 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009, के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी-ए के फ्लैटों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, unforeseen (अज्ञात) कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा फ्लैट के पेटे जमा राशि (प्रशासनिक शुल्क को छोड़कर) बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।

2.4 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की योजनाओं में फ्लैटों की कीमत में प्रशासनिक शुल्क की राशि सम्मिलित / समायोजित नहीं होगी।

2.5 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009, के लिए समय—समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार फ्लैट की एक मुश्त शहरी जमाबन्दी की राशि जमा करवानी होगी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की देय स्टाम्प ड्यूटी पर लीजडीड निष्पादित की जावेगी।

3. निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन (फेज—द्वितीय):—

परिचय :

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए कुल 15 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 10 मार्च 2016 से 66 योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के 738 एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी) के 700 कुल 1438 आरक्षित भूखण्डों हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्डों की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध है:—

कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, भूखण्ड क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी लेकिन भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर से अधिक होने पर अल्प आय वर्ग (LIG) में सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड की कीमत योजना की आवासीय आरक्षित दर के 60 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ण दर अथवा शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अनुसार देय दरों पर देय होगी।

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदक के परिवार की सकल मासिक आय (रुपये में)	भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल	आवंटन दर
1	कमजोर आय वर्ग EWS (Economically Weaker Section)	10000/- तक	45 वर्ग मीटर तक	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत
2	अल्प आय वर्ग (Low Income Group)	10001/- से 15000/- तक	45 वर्ग मीटर से अधिक एवं 90 वर्ग मीटर तक	योजना की आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत

4. आवेदन की सामान्य शर्तें :—

- ❖ आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के आधार पर एक अथवा एक से अधिक सभी योजनाओं के फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिये आवेदन कर सकेगा। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग—अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक फ्लैट एवं भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रु. 200/- एवं निर्धारित प्रशासनिक शुल्क राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा। कुल प्रशासनिक शुल्क राशि कुल विकल्पों/वरीयताओं के अनुसार एक मुश्त ऑनलाईन जमा कराना होगा।
- ❖ ई.डब्ल्यू.एस फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए 10,000/- रुपये प्रति विकल्प, एल.आई.जी के फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए 15,000/- रुपये प्रति विकल्प तथा मध्यम आय वर्ग अ (एमआईजी-ए) के फ्लैटों के लिए रु. 20,000/- प्रशासनिक शुल्क देय होगा। प्रशासनिक शुल्क की यह राशि सर्विस टेक्स सहित है। प्रशासनिक शुल्क राशि प्रत्येक विकल्प के अनुसार एक मुश्त जमा करानी होगी।

- ❖ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 की योजनाओं एवं निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में प्रशासनिक शुल्क की राशि फ्लैट एवं भूखण्ड की देय कीमत में सम्मिलित नहीं होगी।
- ❖ प्रशासनिक शुल्क राशि एवं आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अन्य के माध्यम से या नगद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- ❖ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र कियोस्क को प्रशासनिक शुल्क राशि रु. 30,000/- (आवेदन शुल्क रु. 200 के अतिरिक्त) तक 80/- एवं 30,001/- (आवेदन शुल्क रु. 200 के अतिरिक्त) से अधिक प्रशासनिक शुल्क जमा कराने पर ई-मित्र कियोस्क को 125/- अतिरिक्त देय होंगे।
- ❖ लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चतम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट अथवा भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- ❖ लॉटरी में वरीयता के आधार पर फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताएँ स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं एवं शेष वरीयताओं की जमा प्रशासनिक शुल्क आवेदक को लौटा दिया जावेगा।
- ❖ राज्य सरकार या राज्यानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।
- ❖ राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, द्वारा निजी खातेदारी योजनाओं के लिए समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश के अनुसार एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा करवानी होगी।
- ❖ राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी के फ्लैटों एवं भूखण्डों का निष्पादन राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अतः सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्टेज पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने, unforseen (अज्ञात) कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित फ्लैट्स अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं पाया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई फ्लैट अथवा भूखण्ड आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन सफल आवेदक द्वारा फ्लैट अथवा भूखण्ड के पेटे जमा राशि (प्रशासनिक शुल्क को छोड़कर) बिना ब्याज के वापिस कर दी जावेगी।
- ❖ योजनाओं में उपलब्ध फ्लैटों एवं भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।
- ❖ आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम मोबाइल नम्बर होना अनिवार्य है। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह होते हैं जिनकी आय आवेदन करते समय आवेदक की सकल आय में जोड़ी जाती है।
- ❖ आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है की परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ मोबाइल नम्बर की सत्यता की जाँच पूर्ण नहीं होने की दशा में अर्थात् मोबाइल नम्बर स्वयं अथवा पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के नाम नहीं होने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो, तथा संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
- ❖ गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में प्रशासनिक शुल्क के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ❖ असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेज के ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया :

- 5.1 फ्लैटों एवं भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jaipurjda.org के माध्यम से ऑनलाईन या ई-मित्र कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 5.2 आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर ऑनलाईन आवेदन में भरने पर मोबाइल नम्बर की पुष्टि (कन्फर्म) करने हेतु कम्प्यूटर द्वारा उक्त मोबाइल पर OTP (One Time Password) एक बारीय पासवर्ड संख्या भेजी जावेगी। जिसे ऑनलाईन आवेदन के भरने में पश्चात् ही शेष फार्म भरा जा सकेगा।
- 5.3 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।

- 5.4 आनेलाईन आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।(Net Banking के माध्यम से आवेदन पर 10/- रुपये प्रति Transaction + Service Tax तथा Credit Card, Debit Card, etc. के माध्यम से आवेदन पर कुल राशि का 1.25 प्रतिशत + Service Tax देय होगा) जबिप्रा द्वारा किसी भी स्थिति में Chargeback देय नहीं होगा।
- 5.5 ई-मित्र कियोस्क पर आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं प्रशासनिक शुल्क का भुगतान नगद राशि के माध्यम से किया जा सकेगा। ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई-मित्र सेवादाता द्वारा लेय राशि निम्न प्रकार होगी :—
1. आवेदनकर्ता एक ही आवेदन में एक से अधिक फ्लैटों एवं भूखण्डों की वरीयता के आधार पर आवेदन करने पर प्रशासनिक शुल्क राशि रु. 30000/-तक (आवेदन शुल्क रु. 200 अतिरिक्त) होने पर ई-मित्र कियोस्क द्वारा लेय राशि रु. 80/- होगी।
 2. आवेदनकर्ता एक ही आवेदन में एक से अधिक फ्लैटों की वरीयता के आधार पर आवेदन करने पर प्रशासनिक शुल्क राशि रु. 30,001/- से अधिक (आवेदन शुल्क रु. 200 अतिरिक्त) होने पर ई-मित्र कियोस्क द्वारा लेय राशि रु. 125/- होगी।
- 5.6 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का यथा नाम, मोबाइल नम्बर, आरक्षित वर्ग, आय वर्ग, पता, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि का कोई शुद्धिकरण नहीं किया जावेगा।

6. आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :

- 6.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- 6.2 आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- 6.3.1 आवेदक को आवेदन पत्र में अपना स्वयं का या परिवार के सदस्य का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 6.3.2 यह मोबाइल नम्बर आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम होना अनिवार्य है। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह है जिसकी आय श्रेणी हेतु सकल आय की गणना में सम्मिलित की जाती है।
- 6.3.3 आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है का परिवार के सदस्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3.4 स्वयं, पति / पत्नि या आश्रित सदस्य के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर उल्लेख करने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगा।
- 6.4 ई-मेल आई.डी. का उल्लेख ऐच्छिक है। केवल ई-मेल आई.डी. आवेदक के स्वयं की या परिवार की ही मान्य होगी। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति / पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। अन्य की ई-मेल आई.डी. होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 6.5 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 50,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
- 6.6 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। सफल आवेदक से आवंटन से पूर्व इसका शपथ-पत्र भी लिया जावेगा।
- 6.7 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों पुत्र/पुत्री बच्चों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2015–16 (01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय अर्जित होगी।
- 6.8 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
- 6.9 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे।

7. आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण प्रशासनिक शुल्क जब्त किये जाने के बिन्दु :

- 7.1 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी । ।
- 7.2 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो ।
- 7.3 आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर ।
- 7.4 आवेदन पत्र में गलत तथ्य देने पर ।
- 7.5 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।
- 7.6 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर ।
- 7.7 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित फ्लैट अथवा भूखण्ड निरस्त किया जाकर प्रशासनिक शुल्क जब्त कर ली जावेगी ।
- 7.8 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत विवरण दिया जाना आवश्यक है। गलत तथ्य/सूचना पाये जाने पर प्रशासनिक शुल्क जब्त किया जावेगा ।

8. फ्लैटों एवं भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

- 8.1 योजनाओं के लिए आवेदन अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं उनमें उपलब्ध सभी फ्लैटों एवं भूखण्डों में आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है ।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)	अनारक्षित श्रेणी
18%	6%	9%	2%	2%	10%	
					शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब) अन्य सैनिक (स)

‘राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमतिरूप से चयनित कर्मचारी जोकि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे। बशर्ते कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित पुत्र/पुत्री की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार हो ।

- 8.2 आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा ।
- 8.3 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा । ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- 8.4 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है । ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 8.5 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
- 8.6 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो ।
- 8.7 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है ।

- 8.8 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 8.9 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों एवं भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- 8.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 8.11 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 8.12 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् अथवा भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 8.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।) के लिये आरक्षित फ्लैटों अथवा भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
 (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी. एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
 (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
 (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- 8.14 विकलांगों (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 2% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

9. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

- 9.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
 ➤ शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
 ➤ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./आधार कॉर्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी),
 ➤ सकल मासिक आय वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
 ➤ आरक्षित फ्लैटों अथवा भूखण्डों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित/सत्यापित प्रति।
- 9.2 ऑनलाईन आवेदन में भरा गया मोबाईल स्वयं, पति/पत्नि अथवा आश्रित पुत्र/पुत्री के नाम होने का मूल दस्तावेज एवं परिवार के सदस्यों का मोबाईल नम्बर होने का बिन्दु संख्या 5.3.3 के अनुसार परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य होगा। जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में फ्लैट् अथवा भूखण्ड की कीमत जमा करवानी होगी।
- 9.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से जयपुर रीजन स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई बैंक की शाखा में निर्धारित चालान से एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 9.4 निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- 9.5 आवंटन—मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

10. फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटन के पश्चात् वापस लेने की विधि :

- 10.1 आवंटन सह मांग—पत्र जारी होने से पूर्व या बाद में रिफण्ड चाहने पर जमा प्रशासनिक शुल्क का 20 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जावेगी।
- 10.2 एक परिवार(पति, पत्नी एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक फ्लैट् एवं भूखण्ड हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक फ्लैट् अथवा भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही फ्लैट् अथवा भूखण्ड आवंटित किया जावेगा शेष फ्लैट् एवं भूखण्ड की जमा प्रशासनिक शुल्क की राशि लौटा दी जावेगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जावेगी। तथ्य छिपाये जाने का भविष्य में ज्ञात होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

11. असफल आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क की वापसी :

- 11.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व IFSC Code में ऑनलाईन के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी। रिफण्ड हेतु खाता संख्या में एक बार ही शुद्धिकरण का अवसर दिया जावेगा। उसके पश्चात् राशि जब्त कर ली जावेगी। जिप्रा द्वारा किसी भी स्थिति में Chargeback देय नहीं होगा।
- 11.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जिप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम इत्यादि जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जिप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

- 12.1 फ्लैट् एवं भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगे।
- 12.2 विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटन कम कब्जा पत्र तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा।
- 12.3 आवंटी द्वारा फ्लैट् अथवा भूखण्ड के पेटे निर्धारित दर जमा करायी गई कीमत विकासकर्ता को ट्रांसफर की जावेगी।
- 12.4 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा।
- 12.5 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही फ्लैट् अथवा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- 12.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- 12.7 आवंटित फ्लैट् अथवा भूखण्ड का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है एवं प्राधिकरण द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा।
- 12.8 आवंटन में प्राप्त फ्लैट् अथवा भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- 12.9 आवासीय इकाई (फ्लैट्) से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा समिलित सेवाओं जैसे जीना, आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख-रखाव का खर्च सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। प्रारम्भिक तौर पर इस बाबत् आवंटन आर्थिक दृष्टि से कमजोर आर्य वर्ग के लिये राशि रु. 2000/-, अल्प आय वर्ग के लिये 3000/- तथा मध्यम आय वर्ग 'A' के लिये 5000/- आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी।
- 12.10 फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट् में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- 12.11 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 12.12 प्राधिकरण बिना सूचना दिए फ्लैट् अथवा भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- 12.13 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जिप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
- 12.14 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार ज्यपुर ही होगा।

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 50,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फी होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं हैं तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा/कर दूँगी।
- (3) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु०जाति/अनु०जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मैं प्रस्तुत कर दूँगा/कर दूँगी।
- (4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड अथवा फ्लैट निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/फ्लैट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण—पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री जाति निवासी.....

.....
..... तहसील.....जिला

राज्य की स्वंय पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रु0.....
..... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बरहैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री शपथ
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों
के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण—पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री इस विभाग में
पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की
नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रु0 प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

विभाग/उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....

.....जिला सम्भाग.....

राज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु (आय प्रमाण—पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि
..... (रैंक) (नाम)
..... (नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह हैं।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए हैं तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रु0 प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री
आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व0 पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/ ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स में से कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता(IPC)अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)

कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,

सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री

आयु..... निवासी

..... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि

(1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।

(2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों अथवा फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत /प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

(4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता(IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये
शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री निवासी.....
..... तहसील जिला
..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति